



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17082022-238150
CG-DL-E-17082022-238150

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 560]
No. 560]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 2022/श्रावण 26, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 2022/SHRAVANA 26, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2022

आय-कर

सा.का.नि.634(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 239(क) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (छब्बीसवां संशोधन) नियम, 2022 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) में,—

(1) भाग VIII में, नियम 41 से पहले, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“40छ. धारा 239क के अधीन दावा किया गया प्रतिदाय—(1) धारा 239क के अधीन प्रतिदाय के लिए दावा प्ररूप संख्या 29घ में किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दावे के साथ, करार की प्रति या धारा 239क में विनिर्दिष्ट अन्य ठहराव होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दावा, स्वयं दावेदार द्वारा या सम्यक् प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा।”।

(II) नियम 41 में, उप-नियम (1) में “अध्याय XIX के अंतर्गत” शब्दों और अंकों के बाद “(धारा 239क के अलावा)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को अंतर्विष्ट किया जाएगा।

3. मूल नियम के उपाबंध 2 में, प्ररूप सं0 29ग के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“प्ररूप सं. 29घ

(नियम 40छ देखें)

काटे गए कर के प्रतिदाय के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 239क के अधीन व्यक्ति द्वारा आवेदन सेवा में,

निर्धारण अधिकारी,

यह आवेदन, काटे गए और केन्द्रीय सरकार के प्रत्यय में संदत्त कर का प्रतिदाय की वांछा करने के लिए भरा जाना है, जिसकी विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :—

2. विशिष्टियों का ब्यौरे		
(i)	आवेदनों के ब्यौरे	
	(क) प्रास्थिति (बताएं कि क्या व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, फर्म, व्यष्टियों का निकाय, कंपनी आदि है।)	
	(ख) आवासीय प्रास्थिति (सुसंगत वर्ष के दौरान निवासी/निवासी, लेकिन मामूली तौर पर निवासी नहीं/अनिवासी)	
	(ग) स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या	
	(घ) ई-मेल आई डी	
	(ङ) मोबाइल संख्या	
(ii)	उस व्यक्ति, जिसका कर काटा गया है, का ब्यौरा :	
	(क) नाम	
	(ख) प्रास्थिति (बताएं कि क्या व्यष्टि, एलएलपी, फर्म, व्यष्टियों का निकाय, कंपनी आदि है।)	
	(ग) स्थायी खाता संख्या (यदि उपलब्ध है)	
	(घ) ई-मेल आई डी	
	(ङ) मोबाइल संख्या	
	(च) देश, जिसका वह व्यक्ति, जिसका कर काटा गया है, सुसंगत निर्धारण वर्ष में निवासी था	
(iii)	करार के ब्यौरे या अन्य ठहराव (कृपया इस आवेदन के साथ उसकी प्रति संलग्न करें)	
	(क) करार या अन्य ठहराव में हस्ताक्षर की तारीख	
	(ख) तारीख, जिससे करार या अन्य ठहराव प्रभावी होगा	
	(ग) समय अवधि, जिसके लिए करार या अन्य ठहराव प्रभावी हुआ है	

(iv)	संव्यवहार, जिस पर कर कटौती-योग्य नहीं है, किंतु कर काटा गया है, का ब्यौरा				
	(क) संव्यवहार की रकम (भारतीय रूपए में)				
	(ख) संव्यवहार की तारीख				
	(ग) संदाय करने की तारीख				
	(घ) संदाय की रीति (कृपया संदाय के सबूत की प्रति संलग्न करें)				
	(ङ) संव्यवहार की प्रकृति				
(v)	उपरोक्त बिन्दु (iv) में विनिर्दिष्ट संव्यवहार पर काटे गए कर के ब्यौरे				
	(क) काटे गए कर की रकम (भारतीय रूपए में)				
	(ख) काटे गए कर की तारीख				
	(ग) तारीख, जिस पर काटा गया कर सरकार के खाते में जमा किया गया था				
	(घ) चालान के ब्यौरे				
	क्र.सं.	बीएसआर कोड	सरकार के खाते में जमा करने की तारीख	चालान की क्रम सं.	रकम (रूपए)
(vi)	कृपया स्पष्ट करें कि सुसंगत संव्यवहार में आय पर काटा गया कर अपेक्षित क्यों नहीं था				
(vii)	कृपया स्पष्ट करें, कि क्या समान संव्यवहार पर काटा गया कर सुसंगत पूर्व वर्ष से तीन वर्ष पहले वापस किया गया है ? (यदि हां, तो कृपया निम्नलिखित ब्यौरा दें)			☐ हां ☐ नहीं	
	(क) सुसंगत निर्धारण वर्ष				
	(ख) संव्यवहार की तारीख				
	(ग) काटे गए कर की रकम				
	(घ) कर प्रतिदाय की रकम				
	(ङ) यथास्थिति, आयुक्त (अपील) या निर्धारण अधिकारी के आदेश की तारीख (कृपया इस प्ररूप के साथ आदेश की प्रति संलग्न करें)				

(viii)	कृपया अन्य सुसंगत ब्यौरा विनिर्दिष्ट करे (यदि कोई हो)	

मैं, पुत्र/पुत्री..... घोषणा करता/करती हूं कि उपरोक्त किए गए कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में सही, पूर्ण और सत्य हैं। मैं घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप में संदर्भित आय पर काटे जाने के लिए कोई कर अपेक्षित नहीं था। मैं पुनः घोषणा करता हूं कि इस आवेदन में जो कहा गया है, वह सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं की हैसियत से इस आवेदन को कर रहा हूं और मैं इस आवेदन को करने और इसे सत्यापित करने के लिए सक्षम भी हूं। मेरे पास स्थायी खाता संख्या या आधार संख्या है।

तारीख :

हस्ताक्षर :

स्थान :

पता : ।”।

[अधिसूचना सं. 98/2022/ फा. सं. 370142/33/2022- टीपीएल]

शेफाली सिंह, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्यांक का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 632(अ) तारीख 17th अगस्त, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।